कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले में 01 और आरोपी गिरफ्तार</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति (60/26, दिनांक 27.08.2026)</u>

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएसएफ़ द्वारा पूर्व मे गिरफ्तार आरोपियों के बयानो के आधार पर **दिनांक 26/08/2026 को एक और आरोपी सुखदेव पिता सर्वेश निवासी मुरैना को गिरफ्तार किया है।** माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी में आरोपी को पेश किया गया, उक्त आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल भेजा गया है।

विगत माह में प्रकाश में आये 10 तेन्दुऐं के शिकार के प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक संगठित गिरोह के लिप्त होने के साक्ष्य मिले है। मुरैना निवासी 02 और आरोपियों को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी के द्वारा दिनांक 24.08.2026 को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई एवं घटना स्थल की शिनाख्ती कराकर 03 नग Leg Hold Trap एवं 01 नग चाकू की जप्ती की गई। आज दिनांक तक 15आरोपियों जो कि तीन अलग-अलग राज्यों हरियाणा, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली के निवासी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके पास से वन्यजीव तेन्दुऐं के अवयव भी भारी मात्रा में जप्त हुए है तथा शिकार में प्रयुक्त कुल 06 नग Leg Hold Trap एवं 01 नग चाकू भी जप्त किये जा चुके हैं ।

यह प्रकरण मध्यप्रदेश शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें लिप्त गिरोह द्वारा 10 तेन्दुओं का शिकार जिला श्योपुर व मुरैना में किया गया है जो अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र "चीता लैण्डस्कैप" के अंतर्गत आता है। प्रकरण मे विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल